न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहितR.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 67 / 2019

वादीगण :–

भींयाराम पुत्र श्री मंगलाराम
जातियान माली निवासी ग्राम
सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जैनाराम पुत्र हरजीराम
2. जमना पुत्र रामदीन
3. जितेन्द्र पुत्र रामदीन
4. पेमाराम पुत्र रामदीन
5. मन्जू पुत्री रामदीन
6. मलाराम पुत्र सुखराम
7. मीरा पत्नि रामदीन
8. रामकिशन पुत्र हरजीराम
9. समू पुत्री रामदीन
10. सुरेन्द्र पुत्र रामदीन
    जातियान माली निवासीगण
    ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़
    शहर जिला जोधपुर।
11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार,
    पीपाड़ शहर जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री रामकिशोर सांखला वादी की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय दिनांक 31.03.2021

वादीगण के एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार क्षेत्र सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 736 क्षेत्रफल 0.3398 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 444 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम मंगलाराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम मंगाराम है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवारकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं वादी के नाम से अन्य खातेदारी भूमियों के राजस्व रेकर्ड में भी वादी के पिता का सही नाम मंगाराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भूलवश सेवन से मंगाराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 29.07.2019 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नहीं है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें अपने पिता का सही नाम मंगलाराम के स्थान पर मंगाराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

किये जाने की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। बिनाय दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 29.07.2019 को उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। उक्त वादपत्र वादग्रस्त आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र उचित कोर्ट फीस स्टाम्प रूपये 2/– अलावा तलबाना पर पेश है। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार क्षैत्र सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 736 क्षैत्रफल 0.3398 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम मंगलाराम के स्थान पर मंगाराम घोषित किया जावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादीगण के हक मे अता फरमावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से वकील पृथ्वीराज चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकील प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बंद किया गया।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम सिन्धीपुरा पटवार क्षैत्र सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 736 क्षैत्रफल 0.3398 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम मंगलाराम के स्थान पर मंगाराम घोषित किया जावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादीगण के हक मे अता फरमाये जाने का निवेदन किया है।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नं. 736 रकबा 0.3398 हेक्टेयर भूमि में वादी के पिता का नाम मंगलाराम के स्थान पर मंगाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर